पैदल यात्री संहिता

24 x 7 यातायात पुलिस हैल्पलाईन न०.: 25844444, 1095, SMS: 56767

ई-मैल : info@delhitrafficpolice.nic.in

वैबसाईट : www.delhitrafficpolice.nic.in

दिल्ली यातायात पुलिस

क्या आप जानते हैं?

दिल्ली में मोटर वाहनों की जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि के साथ सड़क दुर्घटनाएं बढ़ गई है। सड़क प्रयोगकर्ताओं में पैदल यात्री बहुत अधिक संख्या में दुघर्टनाग्रस्त होते है। निम्नलिखित सुझावों को अपनाकर आप एक सुरक्षित पैदल यात्री बन सकते है।

- पैदल चलते समय हमेशा फुटपाथ का प्रयोग करें।
- जहॉं फुटपाथ नहीं है वहॉं यातायात के विपरीत अर्थात सामने से आनेवाले वाहनों की तरफ चलें।
- यदि आप समूह में चल है तो पक्तिबद्ध होकर चलें।
- सड़क पर गिरे छिलके, नाले के खुले ढक्कन इत्यादि का ध्यान रखें।
- पैदल पार पथ, भूमिगत पार पथ, ऊपरी पुल से ही सड़क पार करें।
- यदि पैदल पार पथ मौजूद न हो तो उस जगह से सड़क पार करें जहॉं से दोनो तरफ का यातयात स्पष्ट दिखलाई दें।
- कभी भी मुड़ने वाली सड़क से चलते हुए वाहनों के बीच या खड़े हुए वाहनों के बीच से सड़क पार न करें।
- कभी सड़क विभाजक या लोहे कि बनी जालियों (रैलिग) के ऊपर से सड़क पार न करें।
- कभी भी सड़क पर न खेलें।
- रात के समय हल्के रंग के वस्त्र पहन कर चलें जिससे वाहन चालक आपको आसानी से देख सकें।
- जहॉं पैदल पार पथ संकेत बत्ती लगी हो वहॉं पर उसका ध्यान रखकर सड़क पार करें।
- सुरक्षित सड़क पार करने के नियम:
  - सड़क के किनारे पर रूकें।
  - अपनी दाहिनी ओर देखें।
  - फिर अपनी बायीं ओर देखें।
  - दोबारा फिर अपनी दाहिनी ओर देखें।
  - यदि सड़क पर कोइ गाड़ी न आ रही हो तो सीधी सड़क पार करें।
  - सड़क पार करते समय कभी न दौड़े।
- सड़क पार करने में वृद्ध, अपंग, असहाय तथा बच्चों को सहयोग दें।

ध्यान रखें

आपकी सावधानी से आपका सफर आरामदायक व सुरक्षित हो सकता है

यातायात नियमों का पालन करें और हमारी सहायता करें।
हम आपकी सुरक्षित आवाजाही चाहते है।

दिल्ली यातायात पुलिस